

साहेबगंज नगर परिषद्, साहेबगंज।

पत्रांक-/न0प0, दिनांक-.....

नगर परिषद् साहेबगंज के मौजा केलाबाड़ी, स्टेडियम रोड, साहेबगंज में
PMAY(U) - AHP अन्तर्गत निर्माणाधीन किफायती आवास का

आवंटन - पत्र

सेवा में,

.....
.....
.....

विषय :- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत नगर परिषद् साहेबगंज के मौजा केलाबाड़ी, स्टेडियम रोड साहेबगंज में निर्माणाधीन आवासीय परिसर में आवास के आवंटन के संबंध में।

प्रसंग :- आवास आवंटन हेतु विज्ञापन सं०-..... एवं आपके द्वारा जमा किया गया आवेदन।

Survey ID

Preference List No.

महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में सूचित करना है कि नगर परिषद् साहेबगंज के मौजा केलाबाड़ी, स्टेडियम रोड, साहेबगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक "भागीदारी में किफायती आवास" अंतर्गत कमजोर आय वर्ग श्रेणी हेतु निर्माणाधीन बहुमंजिलीय आवासीय परिसर में आवासों के आवंटन हेतु दिनांक- को सम्पन्न लॉटरी में आपको मंजिल पर आवास संख्या- आवंटित की जाती है। आवंटित आवास का कुल Carpet Area लगभग 30 वर्ग मी० है।

1. आपको उक्त आवास केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय जारी दिशा-निर्देशों के आलोक में आवंटित की जा रही है।
2. निर्मित किए जाने वाले आवास का मूल्य रु० 6.07 लाख मात्र है।
3. उक्त आवास हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता राशि कुल रु प्रासंगिक 2.50 लाख मात्र के पश्चात् कुल रु० 3.57 लाख मात्र लाभुक अंशदान के रूप में देय होगा।
4. लाभुक अंशदान की राशि निम्नवत् देय होगी :-

क्र०	किस्त	विवरण	आवासी ईकाई के मूल्य की राशि
1.	सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit)		रु० 5,000/-
2.	प्रथम किस्त	आवंटन पत्र जारी होने के 30 दिन के अंदर	रु० 20,000/- अग्रिम राशि
3.	द्वितीय किस्त	लाभुक के आवासीय ब्लॉक के निर्माण का 25% कार्य पूर्ण होने पर	(लाभुक अंशदान- 25,000 रु०) का 25 प्रतिशत राशि = 0.83 लाख
4.	तृतीय किस्त	लाभुक के आवासीय ब्लॉक के निर्माण का 50% कार्य पूर्ण होने पर	(लाभुक अंशदान- 25,000 रु०) का 25 प्रतिशत राशि = 0.83 लाख
5.	चतुर्थ किस्त	लाभुक के आवासीय ब्लॉक के निर्माण का 75% कार्य पूर्ण होने पर	(लाभुक अंशदान- 25,000 रु०) का 25 प्रतिशत राशि = 0.83 लाख
6.	पंचम किस्त	लाभुक के आवासीय ब्लॉक के निर्माण का 90% कार्य पूर्ण होने पर	(लाभुक अंशदान- 25,000 रु०) का 25 प्रतिशत राशि = 0.83 लाख

5. आवास आवंटन के प्रावधान

- 5.1 आवास का आवंटन पूर्ण स्वामित्व (Freehold) के आधार पर किया जा रहा है।
- 5.2 आवास एवं सन्निहित जमीन का स्वामित्व, 15 वर्षों के Lock in period के बाद या आपके द्वारा वित्तीय संस्थान से लिए गए गृह ऋण से मुक्त होने के बाद, जो बाद में हो, दिया जाएगा।
- 5.3 आवंटी आवास प्रथम 15 (पन्द्रह) वर्षों तक अहस्तांतरणीय होगा, किन्तु उक्त आवंटित आवास आवंटी के वैधानिक उत्तराधिकारियों के नाम आपके मरणोपरांत हस्तांतरित किया जा सकता है।
- 5.4 आवंटी द्वारा आवास ऋण का ससमय भुगतान नहीं करने की स्थिति में आवास का आवंटन रद्द कर दी जाएगी।
- 5.5 आवास आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में दी गई जानकारी गलत साबित होने पर आवंटित आवास का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा तथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- 5.6 आवंटी आवास की पहली किस्त का भुगतान तय समय सीमा के अन्दर नहीं किए जाने पर आपके द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण अग्रिम राशि को जब्त कर ली जाएगी एवं उक्त आवास का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।
- 5.7 आवास आवंटन के 30 दिनों के अन्दर अग्रिम राशि रु० 20,000/- बैंकर्स चेक/डी0डी0/ RTGS/NEFT के माध्यम से Jharkhand Affordable Housing Development Fund (JAHDF) के A/C No. में जमा करानी होगी। तत्पश्चात् आवास का "विक्रय के लिए एकरारनामा" (**Agreement of Sell**) की मूल प्रति आपको निकाय के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आपके द्वारा आपको आवंटित आवास के लाभुक अंशदान के भुगतान हेतु बैंक से ऋण लिया जाएगा तो "विक्रय के लिए एकरारनामा" (**Agreement of Sell**) सीधे संबंधित बैंक को उपलब्ध करा दी जाएगी।
- 5.8 आवासों से संबंधित समय-समय पर लागू होने वाले विभिन्न करों का भुगतान, कब्जा लेने की तिथि से समय-समय पर करना अनिवार्य होगा।
- 5.9 आवंटित आवास का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। आवंटी अपने अनुसार आवंटित आवास का स्वरूप बदल नहीं सकते है।
- 5.10 आवंटी आवास के बाह्य दिवारों के बाहरी भाग में अपने अनुसार रंग रोगन नहीं कर सकते है।
- 5.11 उपरोक्त के अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में किसी भी नियम/शर्त के संशोधन का सर्वाधिकार नगर विकास एवं आवास विभाग को निहित होगा, जो सभी आवंटियों को मान्य होंगे।
- 5.12 आवंटी आवास के आवंटन से आवास का कब्जा देने के मध्य वर्तमान स्थान/पता में परिवर्तन की जाती है तो इसकी सूचना अविलंब निकाय को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। अन्यथा आपके नये स्थान/पता के अभाव में आपको निकाय द्वारा वांछित जानकारी/सूचना उपलब्ध कराने में होने वाली परेशानी एवं वांछित जानकारी/सूचना के अभाव में आपको होने वाले हानि के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे।
- 5.13 योजना के वास्तविक क्रियान्वयन के समय भवनों के क्षेत्रफल में न्यूनानुपात परिवर्तन संभव है, जो कि अंतिम रूप से बाद में सूचित किया जायेगा, जिसे आपको स्वीकार करना होगा।
- 5.14 आवास आवंटन से संबंधित नगर विकास एवं आवास विभाग का निर्ण अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- 5.15 किसी भी विवाद की दशा में नगर परिषद् साहेबगंज क्षेत्रान्तर्गत सक्षम न्यायालय होगा।
- 5.16 आवासीय परिसर में व्यवसायिक गतिविधियों यथा दुकान, सामुदायिक केन्द्र इत्यादि के माध्यम से राजस्व संग्रहण का कार्य Resident Welfare Association द्वारा किया जाएगा। संग्रहित राजस्व के माध्यम से आवासीय परिसर का रख-रखाव (Maintenance) किया जाएगा।

आवास आवंटी का नाम.....

आवंटी का हस्ताक्षर/टीप निशान

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद् साहेबगंज।